

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क.मांक-314 / 2013
 संस्थित दिनांक-24 / 04 / 2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

- 01— विकास पिता कमलसिंह परते, उम्र 26 वर्ष,
 जाति गोंड, निवासी-परसाटोला (पल्हेरा),
 थाना मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट (म.प्र.)
- 02— सौरभ पिता चमनसिंह धुर्वे आयु 21 वर्ष,
 निवासी परसाटोला थाना- मलाजखंड
 जिला-बालाघाट, म0प्र0

— — — — — **अभियुक्तगण**

// निर्णय //

(आज दिनांक-28/07/2014 को घोषित)

1— आरोपी विकास के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 5/180, 92/192 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-14.04.2013 को समय रात 9:20 बजे स्थान एच सी एल चौराहा थाना मलाजखंड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल यामाहा एफ जेड एस को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत मनोज कुमार को टक्कर मारकर उपहति कारित किया एवं उपरोक्त वाहन को बिना लायसेंस व बिना रजिस्ट्रेशन कराकर चलाया तथा आरोपी सौरभ के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-5/180, 92/192 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने उपरोक्त वाहन का स्वामी होते हुए वाहन को बिना लायसेंस वाले व्यक्ति से व बिना रजिस्ट्रेशन कराकर चलवाया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14-4-13 रात्रि करीब 9.20 बजे मलाजखंड से अपनी साईकिल प्राथी मनोज कुमार अपने घर मोहगौव जाते हुये मलाजखंड एच.सी.एल चौराहा पर पहुंचा था तभी बंजारीटोला तरफ से मोटर सायकल बिना नंबर की यामाहा एफ जेड कंपनी को आरोपी ने

तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाते लाया और फरियादी मनोज की सायकल को ठोस मार दिया जिससे वह सायकल सहित गिर गया था, उक्त दुर्घटना में मनोज को साधारण चोटे आई थी। फरियादी मनोज ने पुलिस थाना मलाजखंड में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस द्वारा आहत का मुलाहिजा करवाया गया था, पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त सायकल व दुर्घटना कारित मोटर सायकल जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। सायकल का नुकसानी पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 5/180, 39/192 का इजाफा कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी विकास के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 39/192 के अंतर्गत एवं आरोपी सौरभ विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-5/180, 39/192 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी विकास दिनांक-14.04.2013 को समय रात 9:20 बजे स्थान एच सी एल चौराहा थाना मलाजखंड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल यामाहा एफ जेड एस को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी विकास ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत मनोज कुमार को टक्कर मारकर उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी विकास ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना लायसेंस व बिना रजिस्ट्रेशन कराकर चलाया?
4. क्या आरोपी सौरभ ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को स्वामी होते हुए वाहन को बिना लायसेंस वाले व्यक्ति से व बिना रजिस्ट्रेशन कराकर चलवाया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत मनोज (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय अपनी सायकल से एच सी एल चौराहे से होते हुए मोहगांव जा रहा था, तभी आरोपी ने सामने मोटरसायकल को चलाते हुए लाया और उसकी सायकल को टोस मार दिया, जिस कारण उसे दोनों पैर में चोट लगी तथा उसकी सायकल क्षतिग्रस्त हो गयी। उक्त घटना आरोपी की गलती से घटित हुयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी-1 लेखबद्ध कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका इलाज शासकीय अस्पताल मोहगांव में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्र.पी. 2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नुकसानी पंचनामा प्र.पी. 4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से नहीं हुयी थी। साक्षी ने उसकी रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसका महत्वपूर्ण खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

6— मनोज (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। आहत मनोज की घटना के समय सायकल से घर आते समय मोटरसायकल से टक्कर हो गयी थी। उक्त दुर्घटना मोटर सायकल चालक की गलती से हुयी थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी से वाहन जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था। साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है तथा आरोपी के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

7— अर्जुन (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी विकास और आहत मनोज को पहचानता हूं। घटना पिछले साल रात करीब 9 बजे एच.सी.एल. चौक की है। एक मोटरसाइकिल वाले और सायकल

चालक के आमने-सामने की टक्कर हो गई थी। घटना के समय मोटरसाइकिल विकास चला रहा था। उसने दुर्घटना होने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचा था। उक्त दुर्घटना कैसे हुई वह नहीं बता सकता। उसने दुर्घटना के पश्चात् दोनों को उठाया, उक्त दोनों थाने चले गये थे। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 के द से द भाग पर एवं नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-4 के सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर मेरे बयान ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय घटना के समय आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाये जाने के बारे में बता दिया था। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

8— चिकित्सा अधिकारी एल.एन.एस उईके (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.04.2013 को प्राथमिक स्वा. केन्द्र मोहगांव में पदस्थ होते हुए उसने आरक्षक द्वारा पेश करने पर आहत मनोज का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिसमें आहत को बांये घुटने में सामान्य चोट पायी थी। उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, उसके द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत मनोज को घटना के समय साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी धरमचंद बघेले (अ.सा.4) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर होते हुए फरियादी मनोज की सूचना के आधार पर घटना दिनांक को ही आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेख किया था और आहत का मुलाहिजा फार्म भरकर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था। उसने अनुसंधान के दौरान फरियादी की निशादेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्र.पी. 2 तैयार किया था। सायकल का नुकसानी पंचनामा प्र.पी. 4 तैयार किया था। आरोपी के कब्जे से दुर्घटना कारित मोटरसायकल जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र.पी. 5 तैयार किया था। उसने साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये थे। उसने उक्त मोटरसाइकिल

के स्वामी सौरभ को धारा 133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस प्र.पी. 6 देकर वाहन के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज न देने से तथा आरोपी के पास वाहन चालन हेतु अनुज्ञप्ति न होने से मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 5/180 39/192 का इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार करने के उपरांत अभियोग पत्र पेश किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रकरण में की गयी सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

10— अभियोजन की ओर से शेष साक्षी मोहन (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में सायकल क्षतिग्रस्त होने के संबंध में बनाया गया नुकसानी पंचनामा परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 4 के अनुसार परीक्षण करने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने नुकसानी पंचनामा कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। यद्यपि महत्वपूर्ण साक्षी न होने से साक्षी के कथन का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

11— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि किसी भी साक्षी ने आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल को घटना के समय तेजी व लापरवाही से चलाये जाने का कथन नहीं किया है इस कारण आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी विकास के द्वारा आहत मनोज की सायकल को टक्कर मार कर उपहति कारित की गई। उक्त के संबंध में फरियादी/आहत मनोज (अ.सा.1) की साक्ष्य अखण्डित रही है कि घटना के समय उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती थी। ऐसी दशा में आरोपी का मोटरसाइकिल को तेजी से अथवा धीमी गति से चालन किये जाने का महत्व नहीं रह जाता, बल्कि उक्त घटना के समय आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में संदेह न रह जाने से यह उपधारणा की जा सकती है, कि आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षा पूर्वक चालन किया जा रहा था। प्रकरण में यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षा पूर्वक चालन किया जाकर आहत मनोज को उपहति कारित की गई। अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से अभियोजन की ओर से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी के पास घटना के समय उक्त वाहन

चलाने हेतु वैद्य लायसेंस नहीं था। यद्यपि दुर्घटना कारित वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति पेश कर उक्त वाहन का सुपुर्दनामा आरोपी सौरभ ने न्यायालय से प्राप्त किया है, जिससे इस तथ्य का खंडन होता है कि उक्त घटना के समय आरोपीगण द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन कराये वाहन को चलाया जा रहा था।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी विकास ने लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल यामाहा एफ जेड एस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत मनोज को साधारण उपहति कारित किया तथा उपरोक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित किया है कि आरोपी सौरभ ने उक्त दुर्घटना कारित वाहन के स्वामी होते हुये उसे बिना लाइसेंस वाले आरोपी विकास को वाहन चलाने दिया। अतएव आरोपी विकास को भारतीय दण्ड विधान की धारा-279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 के अंतर्गत एवं आरोपी सौरभ को मोटर यान अधिनियम की धारा-5/180 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

13— आरोपीगण के द्वारा किया गया अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपीगण के द्वारा वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है और उनके विरुद्ध अन्य अपराध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। अतएव प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी विकास को भारतीय दण्ड विधान की धारा-279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 के अंतर्गत क्रमशः 1000/—(एक हजार रुपये), 500/—(पांच सौ रुपये), 500/—(पांच सौ रुपये) तथा आरोपी सौरभ को मोटर यान अधिनियम की धारा-5/180 के अंतर्गत 500/—(पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

14— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15— प्रकरण में आरोपीगण मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। अतएव उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल यामाहा एफ जेड एस मय दस्तावेज के स्वामी सुपुद्रदार/आवेदक सौरभ पिता चमनसिंह धुर्वे को सुपुर्द किया गया है। अतएवं उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)